सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 श्रावण 22, गुरुवार, शाके 1948– अगस्त 13, 2026 अंक 20
Vol. 78 Sravana 22 , Thursday, Saka 1948 –August 13, 2026 No. 20

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश, सं.एक.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता पिंकी यादव /(नया नाम) जो अभी इससे पूर्व. कुठ पिंकी कुमारी (पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में.(स्थान जहां राज्य सरकर के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी, एतदद्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम कु. पिंकी कुमारी. उपनाम पहले और बाद में (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम पिंकी यादव तथा उपनाम यादव ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतदद्वारा मेरे पूर्व उपनाम पिंकी यादव.(केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम कुठ पिंकी कुमारी. तथा उपनाम आगे पिछे कुमारी) (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में पिंकी यादव नाम के रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा / करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा / करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी /मेरे पति. मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम पिंकी उपनाम यादव के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम 04–06–2026 तथा का वर्णन किया है तथा दिनांक 04–06–2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा जो पूर्व में कहलाता था/कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

पिंकी यादव
हस्ताक्षर
(नया नाम) पिंकी यादव
(पुराना नाम) कु. पिंकी कुमारी

साक्षीः–
(1) नरेन्द्र सिंह
(2) सुनील शर्मा

प्रतिहस्ताक्षर
पिंकी यादव
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त।

15826

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।